International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 6.924 Volume 10, Issue 05, May 2023
Website- www.aarf.asia, **Email** : editoraarf@gmail.com

पर्यटन स्थलों के विकास में सरकार का महत्वपूर्ण योगदान :

(झारखण्ड राज्य के गुमला जिला के विशेष संदर्भ में)

आनन्द कुमार भगत – शोधार्थी, भूगोल विभाग,
आर0के0डी0एफ0 विश्वविद्यालय, राँची।

डॉ0 शीतल टाप्नो – विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग,
आर0के0डी0एफ0 विश्वविद्यालय, राँची।

सारांश

भूगोल में मानव जीवन और पर्यटन का जुड़ाव प्राचीनकाल से ही रहा है। यह मानव की जिज्ञासाओं को बढ़ावा देने के साथ मानवीय वातावरण का सृजन भी करता है। एक आंर मानव जहाँ विभिन्न प्राकृतिक तत्वों या तत्व समुच्य की संसाधनता में वृद्धि करके अपने विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। वहीं दूसरी ओर प्राकृति भी स्वयं उसके विकास में साथ दे रही है। पर्यटन के विकास करने के लिए सरकार द्वारा हर सफल कदम उठाये जा रहे हैं। ताकि मानव और पर्यटन का जुड़ाव हमेशा बना रहे। सरकार के सहयोग से किसी भी प्रदेश के पर्यटन स्थलों का विकास कर वहाँ की पर्यावरण और संसाधनों को मानव जीवन के अनुकुल बनाया जा सकता है।

प्रस्तावना :

भूगोल में मानव जीवन और पर्यटन का जुड़ाव वर्तमान काल से लेकर प्राचीन काल तक रहा है। यह मानव जीवन की जिज्ञासाओं को बढ़ावा देने के साथ–साथ मानवीय वातावरण का सृजन भी करता है। आज यह भौगोलिक अध्ययन का एक आधारभूत संरचना का मजबूत स्तम्भ बन गया है। आज पर्यटन स्थल विश्वव्यापी हो गया है। पर्यटन स्थलों के विकास के साथ ही जनसंख्या का एक विशाल जनसमूह इससे लाभान्वित भी हो रहा है। शैक्षणिक भ्रमण या देशाटन करना भी शिक्षा का एक प्रमुख भाग बन गया है जिससे छात्रों का शिक्षा जगत में सार्थकता का महत्व बढ़ गया है।

© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

12वीं शताब्दी के मध्य में सर्वप्रथम पर्यटन शब्द का प्रयोग किया गया था। इस समय लोग विश्राम करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह का भ्रमण किया करत थे। विश्व पर्यटन संगठन (WTO) के द्वारा भी पर्यटन को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में काफी विकास की संभावना बढ़ रही है।

अध्ययन क्षेत्र :

गुमला जिला प्राकृतिक सौन्दर्य के ऐतिहासिक धरोहर का एक अनुपम उपहार है। गुमला जिला जंगल प्रदेश होने के कारण इसका प्राकृतिक रूप काफी मनमोहक है। इसी वजह से पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र भी रहा है। यह जिला प्राचीन काल से ही पर्यटन का केन्द्र स्थल रहा है। क्योंकि यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों का अपना विशेष महत्व है। यह जिला झारखण्ड राज्य में अपनी अलग पहचान बनाता है। यह जिला झारखण्ड राज्य के दक्षिण–पश्चिम भाग में स्थित है। 18 मई 1983 को गुमला जिला राँची जिला से अलग होकर बना था। पहले यह राँची जिले का उप–विभाजन था। गुमला जिला $22^0$35′ उत्तर से $23^0$33′ उत्तरी अक्षांश और $84^0$40′ पूर्व से $85^0$1′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। यह जिला की पूर्वी सीमा खूंटी एवं राँची जिला, पश्चिमी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य एवं लातेहार जिला, उत्तरी सीमा लोहरदगा जिला तथा दक्षिणी सीमा सिमडेगा जिला की सीमाओं से निर्धारित होती है। विभिन्न कहानियों के अनुसार मुण्डारी भाषा अपने शब्द में ''गुमला'' को लोकप्रिय शब्द मानते थे जिसका संबंध स्थानीय जनजातियों के धान–कुटना से संबंधित है। हर मंगलवार के दिन गौ मेला यानि पशु मेला गुमला में लगता था। नागपुरी में लोग उसे ''गोमीला'' कहते थे। जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 5327 वर्ग कि0मी0 है।

गुमला जिले में आदिवासी की बहुलता पाई जाती है। मध्यकालीन युग के दौरान छोटानागपुर क्षेत्र नाग राजवंशों के राजाओं द्वारा शासित किया गया था।

अध्ययन का उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र में गुमला जिला के पर्यटन का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। जिसमें की पर्यटन योजनाओं के निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ, पर्यटन निगम व संस्थाएँ यातायात और परिवहन योजना के निर्माता तथा उससे संबंधित अन्य व्यक्तित्व जो पर्यटन विभागों से जुड़े हुए हैं, वे इससे लाभान्वित होकर पर्यटन विकास के लिए पूरी योजनाओं का निर्धारण कर सके।

इसके निम्नांकित उद्देश्य भो हो सकते हैं :

(क) अध्ययन क्षेत्र के भौगोलिक स्थलाकृतियों का अध्ययन करना।

(ख) अध्ययन क्षेत्र के पर्यटन स्थलों एवं उनके विकास का अध्ययन करना।

(ग) अध्ययन क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में सरकारी अधिकारियों के प्रयास एवं विभिन्न नीति योजनाओं का अध्ययन करना।

आँकड़ों का स्रोत एवं विधितंत्र :

किसी भी शोध कार्य को पूरा करने के लिए एक अच्छे शोध विधि का होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में मानचित्रों, अवलोकन वर्णनात्मक विधियों का प्रयोग करने के लिए प्राथमिक वा द्वितीयक स्तर के तकनीकों का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध पत्र को पूरा करने के लिए निम्न उपकरणों का उपयोग किया गया है :–

डेटा के स्रोत

प्राथमिक डेटा		**द्वितीयक डेटा**	
(क)	प्रश्नावली	(क)	पुस्तकें
(ख)	साक्षात्कार	(ख)	जनरल आर्टिकल
(ग)	पत्रकारिता	(ग)	सरकारी विभाग
(घ)	दस्तावेज	(घ)	इंटरनेट
(ड.)	कलाकृति	(ड.)	पुस्तकालय
(च)	रिकार्डिंग	(च)	समाचार पत्र
		(छ)	पुराने शोध प्रबंध

पर्यटन स्थलों के विकास में सरकार का योगदान :

भारत देश में पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग का रूप ले रहा है। सरकार भी इस उद्योग के विकास के लिए काफी राशि खर्च कर रहो है। राज्य सरकार झारखण्ड भी अपने राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए काफी खर्च कर रहा है। सरकारी वा गैर सरकारी योजनाएँ पास किए जा रहे हैं।

झारखण्ड सरकार ने भी ''झारखण्ड पर्यटन नीति'' के तहत विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए बजट पास किए गए हैं। इसमें सरकार के द्वारा काफी बड़ी राशि खर्च कर रही है। साथ ही जंगलों में छिपे स्थानों को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जायगा।

दूसरे राज्यों से अलग अपने पर्यटन स्थलों को विशेष पर्यटन केन्द्र बनाने के लिए विभिन्न पर्यटन नीतियाँ बनाई गई है। जिसका विवरण निम्नवत है :–

1. झारखण्ड पर्यटन नीति – 2015

झारखण्ड राज्य वर्ष 2000 में अपनी स्थापना के बाद से ही पर्यटन स्थल के रूप में राज्य के विकास के लिए पर्यटन के मोर्चे पर काम कर रहो है। झारखण्ड में पर्यटन नीति 2015 में लागू की गई। पर्यटन नीति 2015 के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का गठन किया गया है।

इस नीति का प्रमुख उद्देश्य :

1. प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूकता विकसित करना।
2. पर्यटन गतिविधियों का विकास करना।
3. पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना।
4. नए पर्यटन केन्द्र की स्थापना करना।
5. पर्यटन केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विस्तार करना।
6. मास्टर प्लान तैयार करना और उसे लागू करना और पर्यटन क्षेत्रों का एकीकरण करना।
7. पर्यटन के क्षेत्रों में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
8. पर्यटन संबंधी उत्पादों को बढ़ावा देना एवं सांस्कृतिक स्मारकों को क्षय होने से बचाना।

इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए वन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया। झारख्ण्ड ECO-TOURISM AUTHORITY का गठन किया गया। पर्यटन गाइड का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया।

2. झारखण्ड पर्यटन नीति – 2020 :

झारखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति 2020 में बनाई गई है। जब मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन का कार्यकाल एक साल पूरा हो जाता है तो इसी उपलक्ष्य में पर्यटन नीति–2020 लाया गया। इस नीति में विभिन्न विन्दुओं पर ध्यान दिया गया है। इसमें करीब 70,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा जायगा तथा इसमें स्थानीय लोगों को इससे जो़ड़ा जायगा। इसमें पर्यटन सिपाही, पर्यटन मित्र, और पर्यटक गाइड को प्रमुखता दी जायगी। पर्यटन नीति–2020 में पर्यटन स्थलों और पर्यटन की सुरक्षा के लिए टूरिज्म सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जायगा। राज्य के पर्यटन केन्द्रों को चार श्रेणियों में बाँटकर विकसित किये जाने की योजना है।

टूरिज्म सिक्योरिटी फोर्स में स्थानीय युवाओं को नियुक्त किया जायगा और ये पर्यटन स्थलों और पर्यटकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभायेंगे।

यह पर्यटन नीति, खासतौर पर पर्यटन के क्षेत्रों में निवेश करने वाले निवेशकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस क्षेत्र में निवेश करने वाले निवेशकों की पूंजी पर 30 प्रतिशत या फिर अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों में निवेश करने पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत इंसेटिव दिया जायगा। इसके अलावा टूरिज्म यूनिट शुरू करने पर बिजली दरों में 30 प्रतिशत तक की छूट दी जायगी। साथ ही साथ निवेशकों को 25 लाख रूपया तक लोन भी दिया जायगा और 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दिया जायगा। और उसे 5 साल के लिए उपलब्ध करायी जायगी, इसक अलावे 5 प्रतिशत अतिरिक्त और छूट दी जायगी।

पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए इन्हें 12 अलग–अलग श्रेणियों में बाँटा जायगा।

(a) धार्मिक पर्यटन

(b) इको पर्यटन (पारिस्थितिकी पर्यटन)

(c) सांस्कृतिक पर्यटन

(d) ग्रामीण पर्यटन

(e) साहसिक पर्यटन

(f) खनन पर्यटन

(g) सम्मेलन पर्यटन

(h) फिल्म पर्यटन

(i) क्राफ्ट एण्ड आर्ट पर्यटन

(j) वेलनेस पर्यटन

यूथ हॉस्टल बनाने का भी प्रावधान भी किया गया है। 130 पर्यटन स्थलों को भी चिन्हित किया गया है।

3. झारखण्ड पर्यटन नीति – 2021 :

झारखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमन्त सोरेन के द्वारा 23 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में ''झारखण्ड पर्यटन नीति–2021'' का शुभारंभ किया गया। खासतौर पर इस नीति के जरिये भारत के साथ, विदेशी निवेशकों को भी झारखण्ड लाने की मुहिम चलाई गई। झारखण्ड पर्यटन नीति–2021 के तहत पारसनाथ, मधुबन और इटखोरी को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायगा।

साथ–साथ लातेहार नेतरहाट, बेतला, चांडिल, दलमा मिरचैया गेतलसूद सर्किट जैसे इको–सार्किट को भी विकास किया जाएगा। झारखण्ड को वोकेंड गेटवे के साथ–साथ धार्मिक पर्यावरण, साहसिक, कल्याण, ग्रामीण, और खनन पर्यटन को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। पर्यटन नीति 2021 के द्वारा झारखण्ड के पर्यटन क्षेत्र को पुर्नजीवित करने, नवीनीकृत करने के प्रयासों की आधारशिला होगी। इस राज्य में सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से लाइसेंस और लोन में सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

निष्कर्ष :

निष्कष रूप में यही कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन स्थलों के विकास में सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। झारखण्ड राज्य के गुमला जिला में पर्यटन स्थलों के विकास करने को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में पर्यटन स्थल के समीप बसे हुए स्थानीय लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है ताकि पर्यटन स्थल के साथ–साथ स्थानीय लोगों का भी विकास हो सके। उन्हें नई–नई रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इनके लिए चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ :

1. कुमार वी0 श्याम, 2004 : झारखण्ड – एक विस्तृत अध्ययन, राँची : सफल प्रकाशन।
2. तिवारी राम कुमार, 2004 : झारखण्ड की रूपरेखा, राँची : शिवांगन पब्लिकेशन।
3. कृष्णा संजय, 2013 : झारखण्ड के पर्व–त्योहार, मेले और पर्यटन स्थल, नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन।
4. शर्मा एस0के0 एवं सरिता कुमारो, 2018 : झारखण्ड में पर्यटन एवं विकास, नई दिल्ली, राजेश पब्लिकेशन्स
5. जी0 रवीन्द्रन और पात्रा सोनी, 2018 : भूगोल और पर्यटन, दिल्ली : इग्नू।
6. बसल, सुरेश चन्द्र, 2019 : पर्यटन भूगोल एवं यात्रा – प्रबंधन, मेरठ : मीनाक्षी प्रकाशन।
7. सिंह सरोज कुमार, 2016 : झारखण्ड प्रदेश की भौगोलिक व्याख्या, नई दिल्ली : राजेश पब्लिकेशन्स।